

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाडा (राज0)

पीठारी अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-15/18 राजस्व वाद

1. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द गोखरु (महाजन) आयु वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
--वादी

बनाम

1. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3. श्री शिव सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
4. श्री छोटू सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा।
--प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0ए0 1955 प्र0सं0 15/18 राजस्व वाद दिनांक - 05.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारंभिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में बहस समाहित की गई। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 53 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:-

1- श्री मुकेश जैन

-

अधिवक्ता-वादी

:: निर्णय ::

दिनांक:-21.05.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारंभिक डिक्री अनुसार बटवाडा प्रस्ताव प्राप्त। अतः ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

(1) खातेदार का नाम- भंवरसिंह, हनुमानसिंह, शिवसिंह, छोटूसिंह पिता सुमेर सिंह राजपूत सा0 करेडा खातेदार


क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	4258/1	0.03 बीघा	बारासी III	0.15
कुल कित्ता	1	रकबा 0.03 बीघा	-	-

(2) खातेदार का नाम- नेमीचन्द पिता मूलचन्द गोखरु महाजन सा0 करेडा खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	4258	0.03 बीघा	बारासी III	0.15
कुल कित्ता	1	रकबा 0.03 बीघा	-	-

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिफेन खर्चा अपना-अपना वहन करे।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द गोखरू (महाजन) आयु वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
—वादी

बनाम

1. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3. श्री शिव सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
4. श्री छोटू सिंह पुत्र श्री सुमेर सहि राजपूत उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा।
—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0ए0 1955 प्र0सं0 15/18 राजस्व वाद दिनांक -2/05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कर्तई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुददई व श्री मुकेश जैन मनलाभिव मुदाबला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कि डिक्री दी जाती है कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करें।

(1) खातेदार का नाम- भंवरसिंह, हनुमानसिंह, शिवसिंह, छोटूसिंह पिता सुमेर सिंह राजपूत सा0 करेडा खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	4258/1	0.03 बीघा	बारानी।।।	0.15
कुल कित्ता	1	रकबा 0.03 बीघा	-	-


(2) खातेदार का नाम- नेमीचन्द पिता मूलचन्द गोखरू महाजन सा0 करेडा खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	4258	0.03 बीघा	बारानी।।।	0.15
कुल कित्ता	1	रकबा 0.03 बीघा	-	-

भूमि का हक हिस्सा निहित होकर हक हिस्से के अनुसार विभाजन मिट्स एंड वाउण्डस के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आज तारीख 21.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(वादपत्र की प्रति साथ संलग्न है।)



(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा